:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवनएवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या–911–15/भवन निर्माण–2010, दिनांक 16.09.2011 के माध्यम से ''**शिशु हितलाभ योजना**'' अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या– 1467/छत्तीस–2–12–251 (एस0एम0)/95टी0सी0–111, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली शिशु हितलाभ योजना के अर्न्तगत निम्न संशोधन किये गये है :–

1. लाभार्थी को हितलाभ वर्ष में एकबार एकमुश्त दिया जायेगा। शिशु लड़का होने की स्थिति में धनराशि रू0 10,000/– प्रतिशिशु की दर से देय होगा, किन्तु यदि शिशु लड़की है तो उक्त धनराशि रू0 12,000/– वर्ष में एकबार प्रतिशिशु की दर से देय होगी।
2. इस योजना के अर्न्तगत वर्श में एकबार एकमुश्त धनराशि रू0 10,000/– या रू0 12,000/– (जैसी भी स्थिति हो) प्रति शिशु की दर से शिशु की दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ही देय होगा।
3. योजना के अर्न्तगत जन्म के एक वर्ष की अवधि तक प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेगे। प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से कटौती की जायेगी।
4. योजना के अर्न्तगत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होगें। पूर्व में प्राप्त आवेदनों पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होगे।

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
सचिव, बोर्ड।

<u>कार्यालय उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।</u>

पंत्राक–375–81 /भ0नि0बो( )–2013 दिनांक–25.06.2013

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 1467/छत्तीस–2–12–251(एस0एम0)/95 टी0सी0–111, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में सूचनार्थ।

(माला श्रीवास्तव)
अपर सचिव, बोर्ड।